न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 41/2021

उनवान

भंवर सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति रावत नि0 चैनपुरा, नसीराबाद
—— अपीलांट :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत राजगढ, अजमेर,
2. कोया देवी पत्नी रामा,
3. महेन्द्र,
4. शारदा,
5. सुखदेव सिंह,
6. सेठा,
7. सुरेन्द्र,
8. साबा पि0 रामा जाति रावत नि0 चैनपुरा, नसीराबाद,
9. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— रेस्पोंडेन्टस :— 1 अनुपस्थित
2 से 8 जरियें अधिवक्ता श्री परमेश्वर रावत
9 जरियें राज. पैरोकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनिश्म 1956 विरूद्व ग्राम पंचायत राजगढ पंचायत समिति श्रीनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2020 विरासत का नामान्तकरण संख्या 738 के द्वारा पंचायत द्वारा स्वीकृत करने के आदेश के विरूद्व अपील बाबत।

—: आदेश :— दिनांक :— 22.7.24

अधिवक्ता अपीलांट ने उक्त अपील पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम चैनुपरा के साबिक खसरा नम्बर 6744 हाल खसरा नम्बर 2184 रकबा 0.93 की आराजी अपीलांट की कयशुदा है। हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा को त्रुटिपूर्ण तरीके से रेस्पोडेन्टस संख्या 2 से 8 के पति/पिता रामा के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुयसती बाबत अपीलांट द्वारा वाद व अस्थायी निषेघाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.20 को राजस्व अभिलेख कि स्थिति यथावत रखने के आदेश पारित किये गये। उक्त स्थगन आदे[illegible] के बावजूद ग्राम पंचायत राजगढ द्वारा खातेदार रामा की विरासत [illegible]2.20 को जरियें नामान्तकरण संख्या 738 के दर्ज कर दी गयी[illegible] का नामान्तकण विधि के प्रावधान के तहत निरस्त [illegible] के

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:12:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

आदेश पारित करावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 1 अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेन्टस संख्या 2 से 8 ने सीधही बहस करना जाहिर किया। राज. पैरोकार ने जाहिर किया कि अपीलांट अपनी अपील स्वयं सिद्व करे। बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्धान अधिवक्तागण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। आराजी मुतनाजा अपीलाटं की कयशुदा होने के कारण उसके द्वारा नियमित वाद व अस्थायी निषेघाज्ञा का प्रार्थना पत्र हाजा न्यायालय में पेश किया। हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.20 को राजस्व अभिलेख कि स्थिति यथावत रखने के आदेश पारित किये गये। उक्त स्थगन आदेश आज दिवस तक यथावत रहने के बावजूद ग्राम पंचायत राजगढ द्वारा खातेदार रामा की विरासत दिनांक 21.12.20 को जरियें नामान्तकरण संख्या 738 के दर्ज कर दी गयी। उक्त स्थगन आदेश के बावजूद विरासत का नामान्तकण विधि के प्रावधान के तहत निरस्त होने के कारण नामान्तकरण खारिज योग्य है। हाजा न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.20 को आराजी मुतनाजा की राजस्व अभिलेख की यथास्थिति रखने के आदेश पारित किये थे। इसके बावजूद प्रश्नगत नामान्तकरण ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज किया गया है। उक्त आदेश न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है। आराजी मुतनाजा से संबधित वाद विचाराधीन है। भूमि के वास्तविक खातेदार का निर्धारण किया जाना शेष है। रेस्पोडेन्टस ने अपील के खण्डन में कोई दस्तावेज पेश नही किये है। भूमि के संरक्षण के लिये न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था। अतः ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक उक्त नामान्तकरण गैर कानूनी होने से निरस्त योग्य है।

उक्तानुसार अपील अपीलांट **"स्वीकार"** की जाती है। ग्राम चैनुपरा का नामानतकरण संख्या 738 दिनांक 21.12.20 निरस्त किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:12:06 IST
Reason: SelfAttested